न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अचलाराम पुत्र कालूराम उम्र 25 वर्ष 2. तगाराम पुत्र कालूराम उम्र 23 वर्ष 3. जीयोदेवी पत्नी कालूराम उम्र 54 वर्ष 4. केसाराम पुत्र कालूराम उर्फ पेलाजराम 4/1. नोजीदेवी पत्नी केसाराम उम्र 39 वर्ष 4/2. जालाराम पुत्र केसाराम उम्र 13 वर्ष 4/3. नीम्बु पुत्री केसाराम उम्र 11 वर्ष 4/4. देउ पुत्री केसाराम उम्र 09 वर्ष 4/5. गुणेशाराम पुत्र केसाराम उम्र 07 वर्ष 4/6. प्रियंका पुत्री केसाराम उम्र 03 वर्ष जाति जाट निवासी रिड़मलोणियो की ढ़ाणी कगाउ हाल निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. राज्य राज्य तहसीलदार शिव 2. उदाराम पुत्र वीरमाराम उम्र 47 वर्ष जाति जाट निवासी रिड़मलोणियो की ढ़ाणी कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर

उपस्थिति : 1. श्री बृजमोहन कुमावत एडवोकेट, वादीगण की ओर से।
2. राज पैरोकार– तहसीलदार शिव

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व वाद संख्या :– 161(A)/2018

<u>अन्तिम डिकी</u> दिनांक : 28/6/19

संक्षिप्त में वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गूंगा तहसील **शिव** में स्थित खातेदारी का खेत खसरा नं0 1086/426 रकबा 78.06 बीघा किस्म बा0 सोयम का आया हुआ है। इसके अलावा वादीगण के खातेदारी खेत मूल रहवासी ग्राम रिड़मलोणियो की ढ़ाणी पटवार क्षैत्र कगाउ तहसील बाड़मेर के खसरा नम्बर 176/52, 188/52 रकबा क्रमशः 72.07, 21.10 बीघा कुल रकबा 93.17 के आये हुए है। उक्त वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर खसरा नं0 1086/426 रकबा 78.06 बीघा भूमि को वादीगण स. 1 से 3 के पिता/पति तथा वादीनी सं. 4/1 के ससुर व वादीगण सं. 4/2 से 4/6 के दादा कालूराम उर्फ पेलादराम पुत्र वीरमाराम तथा प्रतिवादी सं. 2 उदाराम पुत्र वीरमाराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से 22.11.1978 को जेतदान पुत्र धनदान से बहिस्सा बराबर बराबर क्रय की थी। तथा वर्तमान मे वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के मध्य कब्जे काश्त को लेकर किसी प्रकार का विरोधाभास भी नही है। तात्कालीन समय मे भूमि क्रय करते वक्त वादीगण के वालिद कालूराम पुत्र

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned by CamScanner

उदाराम के स्थान पर पेलादराम पुत्र वीरमाराम लिखवा दिया। जबकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 के पैतृक खातेदारी जोतो मे वादीगण का सही नाम कालूराम पुत्र वीरमाराम दर्ज है।

चुंकि वर्तमान मे वादीगण के वालिद पेंलादराम उर्फ कालूराम पुत्र वीरमाराम तथा कालूराम के सबसे बड़े पुत्र केसाराम का भी देहान्त हो चुका है तथा उनका विरासती नामान्तरकरण खोला जाना शेष है। वादीगण हल्का पटवारी के पास नामान्तरकरण खुलवाने गये तब नामान्तरकरण खोलने मे भारी परेशानी पैदा होने से वादीगण पेलादराम पुत्र वीरमाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र वीरमाराम दुरस्त करवाना चाहते है।

वादीगण के आधार कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, स्कूल रेकर्ड, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत कगाउ से जारी वारिश प्रमाण पत्र तथा ग्राम रिड़मलोणियो की ढ़ाणी के खाता सं. 10 मे वादीगण के पिता/पति का सही एवं वास्तविक कालूराम पुत्र वीरमाराम लिखा हुआ है। उसी अनुसार ग्राम गूंगा मे अवस्थित खेत खसरा नम्बर खसरा नं0 1086/426 रकबा 78.06 बीघा पेलाजराम पुत्र वीरमाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र वीरमाराम घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का गभीरता पूर्वक अवलोकन किया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं प्रतिवादीगण के ईकबाली जबाबदावा एवं तहसीलदार शिव के जबावदावा के आधार पर वादीगण के वाद को अंतिम रूप से स्वीकार करने मे कोई आपति नही होने से वादी का वाद अंतिम रुप से स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा तहसील शिव के खेत खसरा नं0 1086/426 रकबा 78.06 बीघा भूमि मे वादीगण के वाल्दियत पेलादराम पुत्र वीरमाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र वीरमाराम घोषित किया जाता है।

तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता हैं कि उपरोक्त हिस्सानुसार मौजा गूंगा तहसील शिव के खेत खसरा नं0 1086/426 रकबा 78.06 बीघा भूमि मे शेष प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए पेलादराम पुत्र वीरमाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र वीरमाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करें। डिकी पर्चा मुर्तिब हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
शिव, जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 28/6/19 को सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
शिव, जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner

डिकरी–पर्चा

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

Civil Procedure Code, Appendeix "D"

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिव

पीठासीन अधिकारी श्री प्रतापसिंह आई.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 16(A) /2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अचलाराम पुत्र कालूराम उम्र 25 वर्ष 2. तगाराम पुत्र कालूराम उम्र 23 वर्ष 3. जीयोदेवी पत्नी कालूराम उम्र 54 वर्ष 4. केसाराम पुत्र कालूराम उर्फ पेलाजराम 4/1. नोजीदेवी पत्नी केसाराम उम्र 39 वर्ष 4/2. जालाराम पुत्र केसाराम उम्र 13 वर्ष 4/3. नीम्बु पुत्री केसाराम उम्र 11 वर्ष 4/4. देउ पुत्री केसाराम उम्र 09 वर्ष 4/5. गुणेशाराम पुत्र केसाराम उम्र 07 वर्ष 4/6. प्रिंयका पुत्री केसाराम उम्र 03 वर्ष जाति जाट निवासी रिड़मलोणियो की ढाणी कगाउ हाल निवासी गूंगा तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. राज्य राज्य तहसीलदार शिव 2. उदाराम पुत्र वीरमाराम उम्र 47 वर्ष जाति जाट निवासी रिड़मलोणियो की ढाणी कगाउ तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री वादीगण जरिये श्री बृजमोहन कुमावत एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती हैः– कि वादीगण का वाद अंतिम रुप से स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा तहसील शिव के खेत खसरा नं0 1086/426 रकबा 78.06 बीघा भूमि मे शेष प्रविष्टियो को यथावत रखते हुए पेलादराम पुत्र वीरमाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र वीरमाराम घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को आदेश दिये जाते है कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नामांतरकरण खोलकर बाद जांच तस्दीक करके राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/6/19...... को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (SDO)

शिव, जिला बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Pratap Singh
Date: 2020.01.15 15:45:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: